सख्या : सोलन(पच)-GPDP/2020-I/427275/2024
कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

सेवा में

समस्त खण्ड विकास अधिकारी ,
जिला सोलन हि0प्र0,

सोलन - 173211 दिनांक 25-06-2024

विषय- Regarding transfer of Rs. 24,790 from Sabha Nidhi (Gram Panchayat Fund) in the bank account of Kaushal Vikas Nigam for training of Nal Jal Mitra.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशक एवं विशेष सचिव(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार का पत्र सं० 420356/2024 दिनांक 13/06/2024 (प्रति संलग्न) अंतर्गत सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक नल जल मित्र को प्रशिक्षित किया जाना है। ये नल जल मित्र ग्राम पंचायतों की समग्र देखरेख और नियंत्रण में काम करेंगे, जिनकी प्रशिक्षण लागत को वहन करने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत अनुपूरक जीपीडीपी (Tide Amount) में 24,790 रुपये का प्रावधान करके कौशल विकास निगम के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए है। क्योंकि वर्ष 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग अंतर्गत टाइड राशि जारी नहीं की गई है जिस कारण सरकार द्वारा इस प्रशिक्षण की लागत राशी मु. 24,790 रुपये सभा निधि (ग्राम पंचायत निधि) से 24,790 रुपये एचपीकेवीएन को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी ग्राम पंचायतों को एचपीकेवीएन के बैंक खाते (खाता संख्या 37927395118, आईएफएससी SBIN0014639, बैंक शाखा कसुम्पटी) में सभा निधि से 24,790 दिनांक 25 जून, 2024 तक हस्तांतरित करने व भुगतान से संबंधित जानकारी 30 जून,2024 तक Google शीट (संलग्न) में साझा करने के निर्देश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय ,

Signed by Kuldeep Singh
Date: 25-06-2024 12:08:55

जिला पंचायत अधिकारी
सोलन , जिला सोलन (हि0प्र0)

पृष्ठां0संख्या- यथोपरि- I/427275/2024 दिनांक 25-06-2024
प्रतिलिपि-

1. निदेशक एवं विशेष सचिव(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय पत्र सं० 420356/2024 दिनांक 13/06/2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।

Digitally Signed
जिला पंचायत अधिकारी
सोलन , जिला सोलन (हि0प्र0)